उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन (जलागम) अनुभाग
संख्या : 50 / 2018–52(5)/2017
देहरादून : दिनांक : 18 फरवरी,2019

कार्यालय ज्ञाप

खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वित्त पोषित GEF-6 परियोजनाओं हेतु Green Ag. Transforming Indian Agricultiure for Global Environment Benefits and the Conservation of Critical Biodiversity and Forest Landscapes के Project Operational Manual के अनुसार नोडल एजेन्सी (जलागम प्रबन्ध निदेशालय) द्वारा परियोजना के सफल नियोजन एवं कियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर विभिन्न रेखीय विभागों एवं परियोजना के मध्य समन्वय स्थापित करने, तकनीकी मार्गदर्शन स्थानीय जन सहयोग एवं भागीदारी सुनिश्चित करने, योजना की प्रगति समीक्षा व अनुश्रवण करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय तकनीकी एवं मार्गदर्शन समिति (District Level Technical Support Group) का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1–	जिलाधिकारी, पौड़ी	–अध्यक्ष
2–	मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी	–उपाध्यक्ष
3–	उप परियोजना निदेशक	–सदस्य सचिव
4–	सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र के नोडल प्रभागीय वनाधिकारी	–सदस्य
5–	मुख्य कृषि अधिकारी/परियोजना निदेशक आत्मा	–सदस्य
6–	जिला उद्यान अधिकारी	–सदस्य
7–	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	–सदस्य
8–	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	–सदस्य
9–	अग्रणी बैंक प्रबन्धक	–सदस्य
10–	जिलाप्रबन्धक, नाबार्ड	–सदस्य
11–	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास परियोजना	–सदस्य
12–	सम्बन्धित विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारी	–सदस्य
13–	सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र के ग्राम पंचायत एवं बायोडायवर्सिटी मैनेजमेन्ट कमेटी के चार सदस्य (वार्षिक चक्रीय कमानुसार)	–सदस्य
14–	जलागम प्रबन्ध निदेशालय का प्रतिनिधि	–सदस्य
15–	प्रतिष्ठित तकनीकी एवं शैक्षिक संस्था का प्रतिनिधि	–सदस्य
16–	खाद्य एवं कृषि संगठन संस्था का प्रतिनिधि	–आमंत्रित सदस्य
17–	जनपद के किसान विज्ञान केन्द्र का प्रतिनिधि	–सदस्य

2. समिति प्रत्येक वर्ष में छः माह में एक बार (वित्तीय वर्ष में दो बार) बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करेगी, जिसमें परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सम्बन्धित विभिन्न रेखीय विभागों तथा वित्तीय संस्थाओं के साथ यथासमय विचार–विमर्श तथा उसकी समीक्षा करेगी।

3. समिति के गैर सरकारी सदस्यों को उनके निवास से आने–जाने का रेल/बस/टैक्सी का वास्तविक किराया, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित उप परियोजना निदेशक स्तर से देय होगा

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या : 50 / 2018–52(5)/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 जलागम मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ आफिसर– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/कृषि/पशुपालन/उद्यान/लघु सिंचाई/ग्राम्य विकास/वन एवं महिला संशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन।
6. कुलपति, गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर।
7. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
8. जिलाधिकारी, पौड़ी।
9. मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी।
10. समिति के समस्त सदस्यगण।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देव सिंह)
उप सचिव